

11/11/24

पत्रावली पेश हुई। आर्थिक वादी तथा वादीगण अनुपस्थित
आवाजे दिलवाई गई। सदन सत्र 5 PM हो चुका है।
अतः वादीगण तथा अधिवक्ता वादी के अनुपस्थित
रहने पर वादीगण का नाम अफस टापी / अफस पेशी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली के साथ सुधार
नोट नम्बर से कर ले।

निर्णय सुनाया गया।

